न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सोनू कुमारी (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 83/2024 दायर दिनांक 12.12.2024

उनवान मुकदमा

1. कमजी पिता श्री कचरू जाति भील निवासी ग्राम कुपडा तहसील व जिला बांसवाडा।
2. लाला पिता श्री कचरू जाति भील निवासी ग्राम कुपडा तहसील व जिला बांसवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)।

अप्रार्थी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 22/ 12/2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य का खाता जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 20 नया, 17 पुराना के खसरा संख्या 212/1 रकबा 0.0647 व खसरा संख्या 213/1 रकबा 0.2347 कुल लगानी 0.4200 वाके ग्राम जानामेड़ी पटवार हल्का लोधा तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य का खाता जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 273 नया, 218 पुराना के खसरा नम्बर 212/2 रकबा 0.0647 व खसरा संख्या 213/2 रकबा 0.2347 कुल लगानी 0.4200 वाके ग्राम जानामेड़ी पटवार हल्का लोधा तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है। प्रार्थीगण अपने अपने सर्वे नम्बरान भूमि पर एकमात्र खातेदार कृषक है तथा काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है।

वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे नम्बर 213/1 प्रार्थी संख्या 01 व खसरा नम्बर 213/2 प्रार्थी संख्या 2 के मध्य विभाजित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि में सहवन से विभाजन के वक्त तरमीम मौके के विपरीत कर दी है। जिसमे 213/1 व 213/2 के बाद सर्वे नम्बर 213 की भूमि के बाद 213/1 व 213/2 की कृषि भूमि स्थित है। लेकिन उक्त स्थान पर विभाजन ना कर खाली स्थान छोड़ दिया गया है। जिसे न्यायहित में पूर्णतः राजस्व नक्शे में शुद्धि करवाना आवश्यक है। जिसे प्रार्थीगण के वादग्रस्त सर्वे नम्बर 213/1 व

Sd/
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

213/2 वाके ग्राम जानामेडी पटवार हल्का लोधा, राजस्व नक्षे में तरमीम में शुद्धि कर नया राजस्व नक्षा प्रार्थीगण को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब करने पर अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का जवाब प्रस्तुत हुआ। खसरा नम्बर 213/1 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि कमजी पिता कचरू जाति भील खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 213/2 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि लाला पिता कचरू जाति भील के खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी सं. 1 द्वारा खसरा नं. 213/1 में से 03 बिस्वा भूमि आवासीय आबादी रूपान्तरित कराने से खसरा नम्बर 1021/213/1 रकबा 03 बिस्वा भूमि किस्म आबादी नगर पालिका बांसवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी सं. 2 द्वारा खसरा नं. 213/2 में से 03 बिस्वा भूमि आवासीय आबादी रूपान्तरित कराने से खसरा नम्बर 1022/213/2 रकबा 03 बिस्वा भूमि किस्म आबादी नगर पालिका बांसवाड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है।

आबादी रूपान्तरित भूमि 1021/213/1 के अतिरिक्त भूमि कमजी पिता कचरू भील का आराजी नम्बर 213/1 शेष रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि, एवं आबादी रूपान्तरित भूमि 1022/213/2 के अतिरिक्त भूमि लाला पिता कचरू भील का आराजी नम्बर 213/2 शेष रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि, की तरमीम पूर्व एवं पश्चिम दिशा की ओर पृथक–पृथक नये नम्बर देते हुए तरमीम की जानी थी, परन्तु नक्शा लठ्ठा में खसरा नम्बर 213/1 व 213/2 की तरमीम सिर्फ पश्चिम दिशा में ही कर दी गई है। तथा पूर्व दिशा की ओर का भू–भाग खाली छोड़ दिया गया है। जिससे प्रभावित होकर प्रार्थीगण द्वारा तरमीम शुद्धि हेतु वाद दायर किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि पर मौका अनुसार पूर्व दिशा की ओर 16 बिस्वा भूमि तथा पश्चिम दिशा की ओर 13 बिस्वा भूमि में नये खसरा नम्बर दिया जाना होगा प्रार्थीगण के राजस्व नक्षे में जो खाली स्थान पर रकबा 16 बिस्वा रकबा की तरमीम होकर नया नम्बर दिया जावेगा। प्राथीगण के राजस्व नक्षे में उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र के साथ खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी पेश किया।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, खाता संख्या 359 की जमाबन्दी संवत् 2074 –2077, खाता संख्या 273 की जमाबन्दी संवत् 2074 –2077, खाता संख्या 20 की जमाबन्दी संवत् 2074 –2077, खसरा नक्षा, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी संवत् 2033–2039, जमाबन्दी संवत् 2038–2041, जमाबन्दी संवत् 2042 –2050, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार राजस्व ग्राम जानामेड़ी, पटवारी हल्का लोधा, तहसील व जिला बांसवाडा की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 213/1 व 213/2, में पूर्व में 16 बिस्वा व पश्चिम में 13 बिस्वा भूमि में बढ़ता हुआ नम्बर दिया जाकर तरमीम संशोधन किये जाना आवश्यक है। ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाध व पूर्ण उपयोग कर सके। अतःप्रार्थी के हाल राजस्व रिकार्ड में तरमीम संबंधी इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 136 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर मौजा राजस्व ग्राम जानामेड़ी, पटवारी हल्का लोधा, तहसील व जिला बांसवाडा की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 213/1 व 213/2, में पूर्व में 16 बिस्वा व पश्चिम में 13 बिस्वा भूमि में बढ़ता हुआ नम्बर दिया जाकर राजस्व नक्षा में तरमीम संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बांसवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि मौके अनुसार बढ़ता हुआ नबंर दिया जाकर तरमीम कार्य पूर्ण करावें। तहसीलदार बांसवाडा को निर्णय की छायाप्रति पृथक से पालना हेतु भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 22/12/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)